

भारत सरकार(Government of India)  
रेल मंत्रालय(Ministry of Railways)  
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

परिपत्र


विषय : कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय -लॉकडाउन अवधि के दौरान बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्टिंग के संबंध में ।

\*\*\*\*\*

आपका ध्यान वर्ष 2020 के कार्यालय आदेश सं 25,30 एवं 32 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्टिंग के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं। इन अनुदेशों में यह सलाह दी गई है कि ऐसे कर्मचारी, जो राज्य/ जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

2.. अतः कंटेनमेंट जोनों में रह रहे इन कर्मचारियों को इस संबंध में अपने संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी एवं जी(एक.) शाखा को एक "स्व-घोषणापत्र " प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। संबंधित शाखा प्रभारी भी अपनी शाखाओं/निदेशालयों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करें।

3. उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

  
(टी. श्रीनिवास)  
निदेशक (जी ए)  
रेलवे बोर्ड।

सं 2020/जी(एक.)/मेंट./मिस./कोविड-19  
नई दिल्ली, दिनांक 06/05/2020

प्रतिलिपि :-

1. रेल भवन, प्रगति मैदान और दयाबस्ती में बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
2. नोटिस बोर्ड ।